संख्या–385 /XIX-1/22/89 खाद्य/2011 T.C.

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 26 **अप्रैल, 2022**

विषयः वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 3456–00–सिविल पूर्ति–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–04–उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या 264/रा.उ.वि0प्रति.आ./ दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–3456–00–001–04–00 के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार वचनबद्ध मदों हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 24018.00 हजार (रू0 दो करोड़ चालीस लाख अट्ठारह हजार मात्र) को संलग्न अलॉटमेन्ट आई0डी0 के अनुसार निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 236/XXVII(1)/2022/09(150) 2019 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 तथा शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में इंगित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(2) बचनबद्ध मदों में आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी मद के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

(5) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जाय, जिन मदों के लिए स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने में बजट

I/30092/2022

व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो। धनराशि नियमित व्यय करने के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि का मासिक विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना सम्बद्ध शासनादेशों की प्रतियों सहित वित्त अनुभाग–1/5 एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2– प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25 के मुख्य लेखाशीर्षक–3456–00–001–04–00 के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 236/XXVII(1)/2022/09(150)2019 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 में प्रदत्त स्वीकृति एवं इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
Signed by Bhupal Singh Manral
सचिव।
Date: 20-04-2022 10:54:19

संख्या– 385/XIX-1/22/89 खाद्य/2011 T.C. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वित्त नियंत्रक, खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– खाद्य, नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– वित्त विभाग–05/01, उत्तराखण्ड शासन।
7– नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8–निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार)
अनु सचिव।